

प्रेषक

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-9

लेखनक: दिनांक 28 फरवरी, 2009

विषय:-लेखपालों के हल्के में निवास के संबंध में।
महोदय,

आप अवगत हैं कि लेखपालों के उनके हल्के में ही निवास करने के प्राविधान भूलेख नियमावली के नियम-538 तथा उ०प्र० लेखपाल सेवानियमावली 2006 के नियम-26 में दिये गये हैं। उ०प्र० लेखपाल संघ द्वारा शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि लेखपालों के हल्के में निवास के प्रश्न को लेकर उनका अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है।

इस संबंध में आपका ध्यान भूलेख नियमावली के नियम-542 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्राविधानित है कि लेखपालों को एक या अधिक आचार्यों पर हल्के में निवास रखने से छूट प्रदान की जा सकती है :-

- (क) स्वास्थ्य को गम्भीर हानि पहुँचाने बिना उस हल्के में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो वर्ष भर रहने योग्य हो।
- (ख) यदि हल्के में लेखपाल के निवास के लिए कोई भी उपयुक्त बसा हुआ स्थल नहीं है।
- (ग) यदि हल्के के बाहर के स्थल से हल्के के समस्त गौव तक पहुँच उसनी ही सुविधा जरा है जिसनी उसके अन्तर्गत किसी स्थल से।
- (घ) यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जो हल्के को प्रभावित करती हो और जिलाधिकारी ऐसी मुक्ति उपयुक्त समझे।

अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्बन्ध विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सामान्य जन सुविधा का ध्यान रखते हुए भूलेख नियमावली के नियम-542 में अंतर्निहित उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण से छूट प्रदान की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि हल्के में निवास करने संबंधी प्राविधानों को लेकर लेखपालों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो।

भवदीय
(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लेखनक।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(आर०एन०अपाध्याय)
विशेष सचिव।